

कार्यालय, प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक,
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखंड, राँची ।

वन भवन, डोरण्डा, राँची, झारखंड, पिन-834002, Email-pccf-ednodal@gov.in

पत्रांक- 1373

राँची, दिनांक- 03/11/2021

सेवा में,

क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, बोकारो।
वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, बोकारो।

विषय :- सी0सी0एल0 के नॉर्थ उरीमारी रेलवे साईडिंग परियोजना हेतु कुल 11.11 हे0 (हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमंडल अन्तर्गत 8.27 हे0 एवं रामगढ़ वन प्रमंडल अन्तर्गत 2.84 हे0) वनभूमि अपयोजन प्रस्ताव (FP/JH/Others/34881/2018) के संबंध में।

प्रसंग :- 1. वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, बोकारो का पत्रांक 852 दिनांक 29.09.2021
2. वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, हजारीबाग का पत्रांक 1763 दिनांक 08.10.2021


महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्रों द्वारा सी0सी0एल0 के नॉर्थ उरीमारी रेलवे साईडिंग परियोजना हेतु कुल 11.11 हे0 (हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमंडल अन्तर्गत 8.27 हे0 एवं रामगढ़ वन प्रमंडल अन्तर्गत 2.84 हे0) वनभूमि अपयोजन प्रस्ताव (FP/JH/Others/34881/2018) online एवं उसकी Hard copy में प्राप्त हुआ है।

प्रस्ताव की DSS से समीक्षा के क्रम में पाया गया कि परियोजना के प्रस्तावित वनभूमि में रेलवे लाईन का Base Work हो चुका है। Second Patch में Construction visible है। साथ ही वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, बोकारो के पत्रांक 852 दिनांक 29.09.2021 द्वारा रामगढ़ वन प्रमंडल अन्तर्गत प्रस्तावित प्रस्ताव में 2.84 हे0 जंगल-झाड़ भूमि में FC Act का Violation प्रतिवेदित है।


कृपया उक्त Violation के लिए कौन पदाधिकारी दोषी है तथा उस पर क्या कार्रवाई हुई है? इससे संबंधित स्पष्ट प्रतिवेदन यथाशीघ्र इस कार्यालय को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन,


प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक,
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखंड, राँची।

ज्ञापांक - 1373 दिनांक - 03/11/2021

प्रतिलिपि - वन प्रमंडल पदाधिकारी, रामगढ़ वन प्रमंडल, रामगढ़ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक,
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखंड, राँची।